



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26072021-228456
CG-DL-W-26072021-228456

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, जुलाई 11— जुलाई 17, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 20 — आषाढ़ 26, 1943
No. 11] NEW DELHI, JULY 11— JULY 17, 2021, SATURDAY/ASHADHA 20 — ASHADHA 26, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

का.नि.आ. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा सेवाओं में सिविलियन (समूह 'ग' गैर औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1989 को जहां तक इनका संबंध सिनेमा प्रक्षेपक/आपरेटर-2 और सिनेमा प्रक्षेपक/आपरेटर-1 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सैन्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पुणे में सिनेमा प्रक्षेपक-1 और सिनेमा प्रक्षेपक-2 समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैन्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पुणे में रक्षा सेवाओं सिविलियन (समूह 'ग' पद) सिनेमा प्रक्षेपक-2 और सिनेमा प्रक्षेपक-1 पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—**ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ - (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
सिनेमा प्रक्षेपक-1	01* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर औद्योगिक, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4, (25500-81100 रु)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7.	8.	9.	10.
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11.	12.	13.
प्रोन्नति – स्तर – 2 (19900-63200 रु) में कहे ऐसे सिनेमा प्रक्षेपक- 2 में जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमांडेंट या लेफ्टिनेंट कर्नल से अन्यून रैंक का नामनिर्देशिती - अध्यक्ष 2. मेजर या समतुल्य सिविलियन अधिकारी - सदस्य 3. असंबंध विभाग से कमीशंड आफिसर या समूह 'क' राजपत्रित सिविलियन आफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

1.	2.	3.	4.	5.	6.
सिनेमा प्रक्षेपक-2	02* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर औद्योगिक, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2, (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार में साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में पैंतालीस वर्ष तक सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा, में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7.	8.	9.	10.
आवश्यक :- (क) मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ख) किसी सरकारी या व्यवसायिक संस्थान या औद्योगिक तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई) से व्यवसाय में डिप्लोमा प्रमाणपत्र।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

11.	12.	13.
आमेलन: रक्षा सेवाओं के निम्न विरचनाओं में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200 रु.) में कार्य कर रहे व्यक्ति।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडर या इसका नाम निर्देशित जो लेफ्टिनेंट कर्नल की पंक्ति से नीचे कम का ना हों - अध्यक्ष 2. मेजर या समतुल्य सिविलियन अधिकारी - सदस्य 3. कमीशंड आफिसर या सिविलियन राजपत्रित समूह 'क' आफिसर जो विभाग से संबंधित नहीं हैं - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. पी. सी. 39560/सिव/भ.नि/सी पी/ई-1ए/02/2021/डी (नियुक्तियाँ)]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th July, 2021

S.R.O. 22.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Group 'C' (Non-Industrial) Posts Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Cinema Projectionist/Operator Grade-I and Cinema Projectionist/Operator Grade-II, as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Projectionist Cinema Grade-I and Projectionist Cinema Grade-II in the College of Military Engineering, Pune, Ministry of Defence, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, **Projectionist Cinema Grade-I and Projectionist Cinema Grade-II** (Group 'C' Posts) in College of Military Engineering, Pune, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule :

5. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection or non-selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Projectionist Cinema Grade-I	01* (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion.- Projectionist Cinema Grade-II (Level-2 Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade after appointment thereto.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotions) consisting of:- 1. Commandant or his nominee not below the rank of Lieutenant Colonel - Chairman ; 2. Major or equivalent Civilian Officer. - Member ; 3. Commissioned officer or Civilian Gazetted Group 'A' officer not connected with the department. - Member .	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Projectionist Cinema Grade-II	02* (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Industrial, Non- Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900- 63200)	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servant upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note 1.- The crucial date for determining the -limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddhak division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2.- The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 12 th standard pass from any recognised Board. (b) Diploma certificate in the trade from any Government or recognised vocational Institute or Industrial Technical Institute.	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Absorption: Persons working in Level-2 in the pay matrix (Rs 19900- 63200) in lower formations of Defence Services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant or his nominee not below the rank of Lieutenant Colonel. - Chairman; 2. Major or equivalent Civilian Officer. - Member; 3. Commissioned officer or Civilian Gazetted Group 'A' officer not connected with the department. - Member.	Not applicable.

[F. No. PC-39560/Civ/RR/CP/E1A/02/2021/D(Appts)]
DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.नि.आ. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र सेना चिकित्सा भंडार डिपो, समूह “ग” पद भर्ती नियम, 2005 को जहां तक उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के अधीन पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह “ग” पद) भर्ती नियम 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रव्रत होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार कि यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) उच्च श्रेणी लिपिक	44* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ग’, अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु) के स्तर में ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष नियमित सेवा की हों। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम ना हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी : (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो ; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (19900-63200) में स्तर 2 या समतुल्य में ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति का अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (उपष्कर और भण्डार) - अध्यक्ष; 2. निदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (योजना) - सदस्य; 3. किसी अन्य यूनिट या फार्मेशन से समूह "क" अधिकारी या कमीशन प्राप्त आफिसर - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) अवर श्रेणी लिपिक	76* (2021) (हिन्दी जानने वाले टंकक के सात पद शामिल हैं) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हो।)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वी कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) हस्त चालित टाइप राइटर पर 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में या 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में टाइपिंग गति या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट। 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट क्रमशः, 10500 कुंजी दबाव प्रति घण्टे और 9000 कुंजी दबाव प्रति घण्टे के अनुरूप	आयु - नहीं शैक्षणिक अर्हताएं - हां	दो वर्ष	(i) सीधी भर्ती द्वारा पिचासी प्रतिशत। (ii) वेतन मैट्रिक्स में (18000-56900 रु.) के स्तर-1 में समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द में से, दस प्रतिशत रिक्तियाँ भरी जाएंगी और जिन्होंने 12 वी कक्षा या समतुल्य अर्हता रखते हो तथा सीमित विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 :- पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा, परीक्षा के लिए 45 वर्ष है और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आयु 50 वर्ष है। टिप्पण 2 :- यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से भिन्न ऐसे कर्मचारी अधिक संख्या में परीक्षा में अर्हित होते हैं, ऐसी अधिक संख्या में कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार रखा जाएगा, जिससे पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारी जो बाद वाली परीक्षा में अर्हित

औसतन 5 कुंजी दबाव प्रति शब्द है।		होते हैं, से पक्ष विचार किया जा सके। (iii) पाँच प्रतिशत की रिक्तियाँ ज्येष्ठता सह उपयुक्तता पर समूह 'ग' से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) के स्तर-1 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
----------------------------------	--	--

(11)
प्रोन्नति :- (i) वेतन मैट्रिक्स (रु. 18000 से 56900) के स्तर -1 में समूह 'ग' कर्मचारिबृंद में से दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा रिक्तियाँ भरी जाएंगी और जिन्होंने सीमित विभागीय अर्हक परीक्षा में 12 वी कक्षा समतुल्य अर्हता रखते हो तथा श्रेणी 'ग' में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 : परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष है। टिप्पण 2 : यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से भिन्न कर्मचारी अधिक संख्या में परीक्षा में अर्हित होते हैं, ऐसी अधिक संख्या में कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जायेगा, जिससे पूर्वोत्तर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों जो बाद वाली परीक्षा से अर्हित होते हैं, से विचार किया जा सके। (ii) पाँच प्रतिशत की रिक्तियाँ ज्येष्ठता सह उपयुक्तता पर समूह 'ग' से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) के स्तर-1 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (उपष्कर और भण्डार) - अध्यक्ष; 2. निदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (योजना) - सदस्य; 3. किसी अन्य यूनिट या फार्मेसन से समूह "क" अधिकारी या कमीशन प्राप्त आफिसर - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (उपष्कर और भण्डार) - अध्यक्ष; 2. निदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (योजना) - सदस्य; 3. किसी अन्य यूनिट या फार्मेसन से समूह "क" अधिकारी या कमीशन प्राप्त आफिसर - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फ़ा.सं. 11375/प्रशा स्टाफ (यू डी सी/एलडीसी)/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/79/ भ.नि./ र.(नि)/2021]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 9th June, 2021

S.R.O. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Medical Stores Depot, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2005 in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk under the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment for the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1.) Upper Division Clerk.	44* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level- 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk in the level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of which qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government :- (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Lower Division Clerk with eight years regular service in the Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent. Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) - Chairman; 2. Director Armed Forces Medical Services (Planning) - Member; 3. Group 'A' Officer or Commissioned Officer from other units or formation - Member.	Not applicable.

by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date for receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2.) Lower Division Clerk.	76* (2021) (Including seven posts Hindi knowing typist) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level -2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. Note 1: Relaxable for the Government servants upto age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class pass or equivalent from a recognised Board. (ii) A typing speed of 30 word per minute in English or 25 word per minute in Hindi on manual typewriter. or A typing speed of 35 word per	(i) Age - No (ii) Educational qualification - Yes.	Two years.	(i) Eighty five percent by direct recruitment. (ii) Ten percent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the level-1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of limited departmental

minute in English or 30 word per minute in Hindi on computer. 35 word per minute and 30 word per minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour or 9000 Key Depressions Per Hour on an average of 5 key depressions for each word)			qualifying examination. Note-1: The maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years and 50 years of age for the Schedule Castes and the Schedule Tribes. Note 2: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) Five percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts with the level-1 in the pay matrix (Rs 18000- 56900).
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Promotion : (i) Ten percent of the vacancies shall be filled by promotion from amongst the Group C Staff in the level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of limited departmental qualifying examination. Note 1: The maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years and 50 years of age for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Note 2: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) Five percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have three years regular service in posts with the level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900). Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) - Chairman; 2. Director Armed Forces Medical Services (Planning) - Member ; 3. Group 'A' Officer or Commissioned Officer from other units or formation - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment & Stores) - Chairman; 2. Director Armed Forces Medical Services (Planning) - Member ; 3. Group 'A' Officer or Commissioned Officer from other units or formation - Member.	Not applicable.

requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to his next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
--	--	--

[F. No.11375/Admin Staff (UDC-LDC)/DGAfMS/DG2B/79/RR/D(A)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

का.नि.आ. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2001, जहाँ तक उनका संबंध सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-I और (ii) रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2003, जहाँ तक उनका संबंध फिल्म संपादक से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग में फिल्म संपादक और सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, फिल्म संपादक और सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-I (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फिल्म संपादक	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु.44900-142400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	1. 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 2. 50 संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत

(ii) सरकारी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों या फिल्मों के विभाग या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम या प्रसार भारती या निजी फिल्म और समाचार उत्पादन संगठनों में फिल्म या वीडियो संपादन में पांच वर्ष का अनुभव। या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिल्म या वीडियो संपादन में तीन वर्ष का डिप्लोमा; और (ii) सरकारी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर क्षेत्र के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों या फिल्मों के विभाग या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम या प्रसार भारती या निजी फिल्म और समाचार उत्पादन संगठनों में फिल्म या वीडियो संपादन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			अल्पकालिक संविदा है) या प्रोन्नति द्वारा।
--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) या प्रोन्नति:- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों या	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखता हो। टिप्पण 1- ऐसे विभागीय सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-I, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता है, बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समक्षा जाएगा। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 2 उप निदेशक, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य 3. उप निदेशक, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-I	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण:-आयु-सीमा

					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और (ii) सरकारी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों या फिल्मों के विभाग या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम या प्रसार भारती या निजी फिल्म और समाचार उत्पादन संगठनों में फिल्म या वीडियो संपादन में तीन वर्ष का अनुभव। या (ख) (i) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिल्म या वीडियो संपादन कार्य में तीन वर्ष का डिप्लोमा (ii) सरकारी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों या फिल्मों के विभाग या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम या प्रसार भारती या निजी फिल्म और समाचार उत्पादन संगठनों में फिल्म या वीडियो संपादन में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती और प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा और प्रोन्नति भी है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) या प्रोन्नति:- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखता हो। टिप्पण 1- ऐसे विभागीय सहायक फिल्म संपादक श्रेणी- II, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता है, बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2- विद्यमान विभागीय सहायक फिल्म संपादक श्रेणी- II, जिन्होंने वेतन	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उप निदेशक या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य 3. उप निदेशक, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) में, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने का अनुभव बाहरी लोगों के साथ विचार के लिए लागू नहीं होगा। टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा.सं. ए./96295/सी.ए.ओ./भर्ती-II]

टी सनधुप, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 3rd June, 2021

S.R.O. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Ministry of Defence, Armed Forces Film and Photo Division, (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2001 in so far as it relates to the post of Assistant Film Editor Grade-I and (ii) the Ministry of Defence, Armed Forces Film and Photo Division, Film Editor (Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Film Editor and Assistant Film Editor Grade-I in the Armed Forces Film and Photo Division, Ministry of Defence, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces Film and Photo Division, Film Editor and Assistant Film Editor Grade-I (Group ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Film Editor.	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Not applicable.	Thirty years of age. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualifications: (a) (i) Bachelor degree from a recognised University or institute;	Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) 50 per cent. by direct recruitment. (ii) 50 per cent. by composite

and (ii) Five years experience in film or video editing in Government organisations or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations or films division or National Film Development Corporation of India or Prasar Bharati or private film and News production organisations. or (b) (i) Three years diploma in film or video editing from a recognised University or institute; and (ii) Two years experience in film or video editing in Government organisations or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations or films division or National Film Development Corporation of India or Prasar Bharati or private film and News production organisations. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reason to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for the reason to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			method (deputation - including short term contract) or promotion.
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) or promotion: Officers from Central Government or State Governments or Union territories Administration or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column number (7). Note 1: The departmental Assistant Film Editor Grade-I in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and possessing the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for consideration confirmation) consisting of:- 1. Deputy Chief Administrative Officer, office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman; 2. Deputy Director, office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence -Member; 3. Deputy Director from Armed Forces, Film and Photo Division, Ministry of Defence -Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Film Editor Grade-I.	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable	Thirty years of age. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualifications: (a) (i) Bachelor degree from a recognised University or institute; and (ii) Three years experience in film or video editing in Government organisations or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations or films division or National Film Development Corporation of India or Prasar Bharati or private film and News production organisations. or (b) (i) Three years diploma in film or video editing from a Government recognised	Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees.	(i) 50 per cent. by direct recruitment. (ii) 50 per cent. by deputation including short term contact or promotion failing which by direct recruitment.

University or institute; and (ii) One year experience in film or video editing in Government organisations or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations or films division or National Film Development Corporation of India or Prasar Bharati or private film and News production organisations. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Deputation including short term contract or promotion: Officers from Central Government or State Governments or Union territories Administration or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of regular service in the grade rendered after	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for consideration confirmation) consisting of:- 1. Deputy Chief Administrative Officer, office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman; 2. Deputy Director or Senior Administrative Officer office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Member; 3. Deputy Director from Armed Forces, Film and Photo Division, Ministry of Defence - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

appointment thereto in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column number (7). Note 1: The departmental Assistant Film Editor Grade-II in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with five years regular service in the grade and possessing the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: For existing departmental Assistant Film Editor Grade-II in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300), on the date of notification of these rules, requirement of possessing the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall not be applicable for consideration along with outsiders. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No.A/96295/CAO/R-II]

T. SUNDUP, Dy. Chief Administrative Officer

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

का.नि.आ. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे के इंस्ट्रक्टर व्यवसायिक, भर्ती नियम, 1981 और कृत्रिम अंग केंद्र पुणे (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, महानिदेशक, सशस्त्र सेना

चिकित्सा सेवा रक्षा मंत्रालय के अधीन कृत्रिम अंग केंद्र पुणे में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृत्रिम अंग केंद्र पुणे (समूह 'ग' पराचिकित्सकीय) भर्ती नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि .—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथासंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रोस्थेटिस्ट और आर्थोटिस्ट तकनीकी श्रेणी (अतिकुशल-I)	13*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (पराचिकित्सकीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और

					स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स में बैचलर डिग्री सहित प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स में डिप्लोमा सहित प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। 2. भारत का पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली सहित रजिस्ट्रीकृत।	नहीं	दो वर्ष	60% प्रोन्नति द्वारा। 40% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 (25,500-81,100 रु) में ऐसे प्रोस्थेटिस्ट और आर्थोटिस्ट तकनीकी श्रेणी-II (अतिकुशल-II) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर	लागू नहीं होता।

वर्ष की अर्हक सेवा की हो।	या कैप्टन या उससे ऊपर का) -सदस्य; 3 कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) -सदस्य; 3 कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) - सदस्य।	
---------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.प्रेस्थेटिस्ट और और्थोटिस्ट तकनीकी श्रेणी-II (अतिकुशल-II)	14* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पराचिकित्सकीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4(25500 – 81100 रु)।	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1:-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1° किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण और प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स में डिप्लोमा सहित प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। 2. भारत का पुनर्वास परिषद नई दिल्ली सहित रजिस्ट्रीकृत।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) -सदस्य; 3 कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. शल्यक बूट बनाने वाला/चर्म तकनीकी श्रेणी-I	05* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (पराचिकित्सकीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु)	लागू नहीं होता।	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमाअवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप

					के अभ्यर्थियोंके लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :-रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं उर्तीण सहित सरकारी अनुमोदित संस्थान या औद्योगिक, प्रशिक्षण संस्थान से पाद डिजाईन तकनीकी में डिप्लोमा और सरकारी या निजी संस्थान से बूट बनाने में तीन वर्ष का अनुभव।	नहीं	दो वर्ष	40 % प्रोन्नति द्वारा। 60%सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-4(25500-81100 रु) में ऐसे शल्यक बूट बनाने वाला/चर्म तकनीकी-II जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। भारत का पुनर्वास परिषद मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स में एक वर्ष का प्रमाणपत्र प्राप्त होना चाहिए।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; - भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य; - कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) – सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; - भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य; - कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. शल्यक बूट बनाने वाला/चर्म तकनीकी श्रेणी-II	05* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह'ग', (पराचिकित्सकीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं उर्तीण सहित सरकारी अनुमोदित संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से बूट डिजाइन तकनीकी में डिप्लोमा और किसी सरकारी या निजी संस्थान से बूट बनाने का एक वर्ष का अनुभव।	नहीं	दो वर्ष	40% प्रोन्नति द्वारा। 60% सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-1 (18000-56900 रु) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारी वृंद(लस्कर)जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और शल्यक बूट बनाने या चर्म	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य;	लागू नहीं होता।

तकनीकी श्रेणी -II में नौकरी पर रहते हुए प्रशिक्षण (सम्मिलित दस वर्ष) तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	3 कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे - अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) - सदस्य; 3 कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) - सदस्य।	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.बहुकार्य कर्मचारी वृन्द (लस्कर)	11* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (पराचिकित्सकीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप को अभ्यर्थियोंके लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक, प्रशिक्षण संस्थान से बढईगिरी या चर्म या धातु गहन में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजरया कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य; 3. कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.छिन्नांग सलाहकार	01*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (पराचिकित्सकीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु-सीमा-अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप को अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
मनोविज्ञान में बी.ए या बी.एस.सी। समान अर्हता सहित छिन्नांग भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी।	नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-2 (19900-63200 रु) में ऐसे इंस्ट्रक्टर व्यवसायिक चिकित्सा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो और छिन्नांग सलाहकार के रूप में नौकरी पर प्रशिक्षण (सम्मिलित पाँच वर्ष) दो वर्ष के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया हो। (ii) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-2 (19900-63200 रु) में ऐसे भंडारी तकनीकी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो और छिन्नांग सलाहकार के रूप में नौकरी पर प्रशिक्षण (सम्मिलित दस वर्ष) दो वर्ष के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- - कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; - भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य; - कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) – सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; - भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य; - कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. इंस्ट्रक्टर व्यवसायी (चिकित्सा)	02*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (पराचिकित्सकीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु)।	लागू नहीं होता।	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु सीमा-अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप को अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं उर्तीण सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से व्यवसायिक चिकित्सा में डिप्लोमा।	नहीं	दो वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा। 50% सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: जिन्होंने नर्सिंग सहायक (महिला) के रूप में पाँच वर्ष की अर्हकसेवा की हो और नौकरी पर रहते हुए प्रशिक्षण (पाँच वर्ष के भीतर सम्मिलित) दो वर्ष के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य; 3. कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) – सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य; 3. कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. भण्डारी तकनीकी	01*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (पराचिकित्सीकीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200रु.)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-1 (18000-56900 रु) में ऐसे बह्कार्य कर्मचारीवृन्द्र (लस्कर) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो और नौकरी पर रहते हुए प्रशिक्षण (सम्मिलित पाँच वर्ष के भीतर) दो वर्ष के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य; 3. कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.नर्सिंग सहायक (महिला)	02*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (पराचिकित्सीकीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता।	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप को अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से वी उर्तीण12। वांछनीय : परिचर्या देखभाल में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	%100 सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे – अध्यक्ष; 2. भारसाधक अधिकारी, कर्मशाला कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे (मेजर या कैप्टन या उससे ऊपर का) – सदस्य; 3. कमांडेंट, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे द्वारा भेजा गया एक अधिकारी (कर्मशाला से भिन्न विभाग से) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फ़ा.सं. 4277/समूह 'ग'/ ए एल सी/आर आर/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/116/र.(नि.)]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 12th July, 2021

S.R.O. 25.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Instructor Occupational at Artificial Limb Centre, Pune, Recruitment Rules, 1981 and Artificial Limb Centre, Pune (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Artificial Limb Centre Pune, under the Director General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely:-

1 Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Artificial Limb Centre, Pune (Group 'C', Paramedical) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters to the said posts shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Prosthetist and Orthotist Technical Grade I (Highly Skilled-I).	13* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Paramedical).	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Not applicable.	Between 18 year and 27 years. (Relaxable in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.) Note 1.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2.- In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Bachelor Degree from any recognised University in Prosthetics and Orthotics with one-year experience in the field of Prosthetics and Orthotics. or Diploma from any recognised University or Institute in Prosthetics and Orthotics with three years experience in the field of Prosthetics and Orthotics.	No	Two years.	60% by Promotion. 40% by Direct Recruitment.

2. Registered with Rehabilitation Council of India, New Delhi.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Prosthetist and Orthotist Technical Grade II (Highly Skilled-II) in pay level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years qualifying service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre, Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Artificial Limb Centre, Pune (from different department other than Workshop) - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre, Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Artificial Limb Centre, Pune (from different department other than Workshop) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Prosthetist and Orthotist Technical Grade-II (Highly Skilled-II).	14* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Paramedical).	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 year and 27 years. (Relaxable in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.) Note 1.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2.- In case of recruitment

					made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. 12 th Pass from any recognised Board and Diploma in Prosthetics and Orthotics with one-year experience in Prosthetics and Orthotics field. 2. Registered with Rehabilitation Council of India, New Delhi.	Not applicable.	Two years.	100% by Direct Recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune -Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre, Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Artificial Limb Centre, Pune (from different department other than Workshop - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Surgical Boot Maker/ Leather Technical Grade-I	05* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Paramedical)	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.) Note 1.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2.- In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 12 th Pass from any recognised Board with Diploma in foot design technology from Government approved Institute or Industrial Training Institute and having three years of experience in boot making from Government or private Institute.	No.	Two years	40% by Promotion . 60% by Direct Recruitment .

(11)	(12)	(13)
Promotion: Surgical Boot Maker/Leather Technical-II in the pay level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade. Must have acquired one-year certificate in Prosthetics and Orthotics from Rehabilitation Council of India recognized Institute.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune -Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member ; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member ; 3. One Officer detailed by Commandant, (Major/Captain or above), Pune (from different department other than Workshop) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Surgical Boot Maker/ Leather Technical Grade-II	05* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Paramedical).	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Not applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.) Note 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2. In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 12 th Pass from any recognised Board with Diploma in foot design technology from Government approved Institute or Industrial Training Institute and having one-year boot making experience from a Government or private Institute.	No	Two years.	40% by Promotion. 60% by Direct Recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi-Tasking Staff (Lascar) in the pay level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with ten years regular service in the grade and having successfully completed three years On-the Job Training (inclusive ten years) in Surgical boot maker or Leather Technical Grade- II.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Multi Tasking Staff (Lascar).	11* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Paramedical).	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900)	Not applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.) Note 1.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2.- In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation from any recognised Board. or Diploma from a recognised Industrial Training Institute in carpentry or leather or metal fabrication.	Not applicable	Two years	100% by Direct Recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Amputee Counselor	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Paramedical).	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.) Note 1.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2.- In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
BA or B.Sc in Psychology. Preference to be given to amputee Ex-Serviceman with same qualification.	No.	Two years	Promotion failing which by Direct Recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Instructor Occupational Therapy in pay level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with five years service in the grade and having successfully completed On-the Job Training for two years (inclusive five years) as Amputee Counselor. (ii) Storeman Technical in pay level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with ten years service in the grade and having successfully completed On-the Job Training for two years (inclusive ten years) as Amputee Counselor.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune(Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Instructor Occupational (Therapy).	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Paramedical).	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.) Note 1.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2.- In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
12 th pass from any recognised Board with Diploma in Occupational therapy from recognised Institute.	No.	Two years.	50% by Promotion. 50% by Direct Recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Five years qualifying service as Nursing Assistant (Female) and having successful On- the Job Training for two years (inclusive within five years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Store Man Tech.	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Paramedical).	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi Tasking Staff (Lascar) in pay level -1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with five years service in the grade and having successful On-the Job Training for two years (inclusive within five years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Nursing Assistant (Female)	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Paramedical).	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.) Note 1.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and

					Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2.-In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 12th Class pass from recognised Board. Desirable: Two years experience in Nursing Care.	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant or Deputy Commandant, Artificial Limb Centre, Pune - Chairman; 2. Officer-in- Charge, Workshop, Artificial Limb Centre Pune (Major or Captain or above) - Member; 3. One Officer detailed by Commandant, Pune (from different department other than Workshop) - Member.	Not applicable.

[F. No. 4277/GP 'C'/ALC/RR/DGAFMS/DG-2B/116/D(Apptts.)]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.